

09.09.2025 वाकिल वादीनी अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक पृथक समय में वाकिल मय वादी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वाकिल व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा वादीनी का वाद अदम पैरवी व अदम डालेरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फौसल सुमार होकर शाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रमुख कलेक्टर
जयपुर (S.D.O.)